स0स0–1 / विविध–69 / 2018– 98 (7)

बिहारसरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा0प्र0से0,

सरकार के अपर सचिव।

सेवामे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक– 19/06/2025

विषय.– **श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति कुल राशि रू0 591,77,00,000/– (रुपये पाँच सौ इक्यानवे करोड़ सतहत्तर लाख) मात्र के पुनरीक्षण के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल रू0 7,09,93,03,366/–(रुपये सात अरब नौ करोड़ तिरानवे लाख तीन हजार तीन सौ छियासठ) मात्र लागत से स्वीकृत योजना के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से राशि रू0 25,00,00,000/– (रूपये पच्चीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि विभागीय राज्यादेश स0–192(1) दिनाक–05 02 2019 द्वारा श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, समस्तीपुर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 मेकुल रु0 591,77,00,000/– (रुपये पॉच सौ इक्यानवे करोड सतहत्तर लाख) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2–केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, समस्तीपुर के स्थापना हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा केन्द्राश एव समानुपातिक राज्याश मद मे 113 40+75 60= 189 00 करोड की राशि उपलब्ध करा दी गयी है, केन्द्राश के समानुपातिक राज्याश मद मे राशि के अभाव के कारण योजनागत कार्य को जारी रखने के उद्देश्य से Top up Fund के रूप मे राज्य योजना मद से अवशेष राशि दी जा रही है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है–

क्र0स0	पत्रांक / दिनांक	राशि (रू0 में)
1	U 14017/22/2015/ME-II.दिनाक–19 02 2019	28.49.00.000/-
2	U 14017/22/2015/ME-II.दिनाक–19 02 2019	51.00.000/-
3	U 14017/22/2015/ME-II.दिनाक–19 02 2019	1.00.00.000/-
4	U 14017/22/2015/ME-II.दिनाक–9 05 2019	4.27.00.000/-
5	U 14017/22/2015/ME-II.दिनाक–9 05 2019	8.30.00.000/-
6	U 14017/22/2015/ME-II.दिनाक–9 05 2019	37.43.00.000/-
7	U 14017/22/2015/ME-II-FTS-8030201(3).दिनाक–20 10 2020	3.64.00.000/-
8	U 14017/22/2015/ME-II-FTS-8030201(2).दिनाक–20 10 2020	6.94.00.000/-
9	U 14017/22/2015/ME-II-FTS-8030201(1).दिनाक–20 10 2020	22.82.00.000/-
	कुल–	**1,13,40,00,000/-**

3–समानुपातिक राज्याश मद के रूप मे निर्माण एजेन्सी को आवटित राशि का विवरणी निम्नवत् है–

1	2023–24	75.00.00.000	स0–383(7) दिनाक–26 12 2023
2	2023–24	60.00.000	स0–435(7) दिनाक–19 01 2024
	कुल योग	75.60.00.000	

4– राज्य योजना मद से Top up Fundके रूप मे दी गई राशि विवरणी निम्नवत्है –

क्र0स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	आवटनादेश स0 एवदिनाक
1	2022–23	50.00.00.000	स0–487(7),दिनाक–20 02 2023
2	2022–23	1.15.00.00.000	स0–597(7) दिनाक–29 03 2023
3	2023–24	29.33.00.000	स0–610(7) दिनाक–31 03 2023
4	2023–24	70.00.00.000	स0–198(7) दिनाक–28 08 2023
5	2023–24	5.00.00.000	स0–635(7) दिनाक–14 03 2024

6	2023–24	27,90,00,000	स0–636(7) दिनाक–14 03 2024
7	2024–25	17,00,00,000	स0–137(7) दिनाक–21 08 2024
8	2024–25	30,54,00,000	स0–227(7) दिनाक–21 10 2024
9	2024–25	36,73,00,000	स0–357(7) दिनाक–15 01 2025
10	2024–25	1,13,00,00,000	स0–537(7) दिनाक–20 03 2025
	कुल योग	4,94,50,00,000	

5– उक्त के परिप्रेक्ष्य मे श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 मे प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति कुल राशि रु0 591,77,00,000/– (रुपये पॉच सौ इक्यानवे करोड सतहत्तर लाख) मात्र के पुनरीक्षण के उपरान्त विभागीय राज्यादेश सख्या 321(7), दिनाक–27 12 2024 द्वारा प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2024–25 मे कुल रू0 7,09,93,03,366/–(रुपये सात अरब नौ करोड तिरानवे लाख तीन हजार तीन सौ छियासठ) मात्र लागत से स्वीकृत योजना के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 मे राज्य योजना मद से राशि रू0 25,00,00,000/– (रूपये पच्चीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश स0–192(1) दिनांक–05 02 2019 मे निहित शर्तो के आधार पर कराया जायेगा।

7– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17 04 98, 2880/ वि0(2), दिनाक–06 05 06, 2938/वि0(2), दिनाक–08 04 08, 3758/वि0, दिनाक–31 05 2017 एव 12888/वि०, दिनाक–03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

8– राज्य योजना मद मे इस राशि के व्यय का वहन मॉग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाए, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0111–मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड–20–4210011100111 अन्तर्गत विषय शीर्ष 0111–53–01–मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

9– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

10– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID---------मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे और ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र मे तैयार कर प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराऍगे।

11–बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda)तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

12–राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

13–प्रस्ताव एव प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदनप्राप्तहै।

14–प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या–1/विविध–69/2018 के पृष्ठ– 191/टि0 पर प्राप्त है।

15– यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

19.6.25

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक —1 / विविध—69 / 2018— 98 (7) स्वा0, पटना, दिनाक—19/06/202

प्रतिलिपि —महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / योजना एवविकासविभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / प्रमडलीय आयुक्त, दरभगा / जिलाधिकारी, समस्तीपुर / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / प्राचार्य, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, समस्तीपुर—सह—प्रभारी, दरभगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभगा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— मा0 मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी—7 / लेखा शाखा (दो प्रतियो मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि —प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सबधित सभी को ई—मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

19.6.25

सरकार के अपर सचिव